Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में थानाधिकारी, पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की पाली–प्रथम इकाई द्वारा आज रविवार को कार्यवाही करते हुये गिरधर सिंह पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट में गिरफ्तार नहीं करने एवं मामले में समझौता कराने की एवज में गिरधर सिंह पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली द्वारा 32 हजार 500 रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की पाली–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरपत चंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सीताराम** उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये गिरधर सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह निवासी झलारिया, पुलिस थाना भणियाणा, जिला जैसलमेर हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादिया से 7500 रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।